Ll.b.
2semester
Legal history.

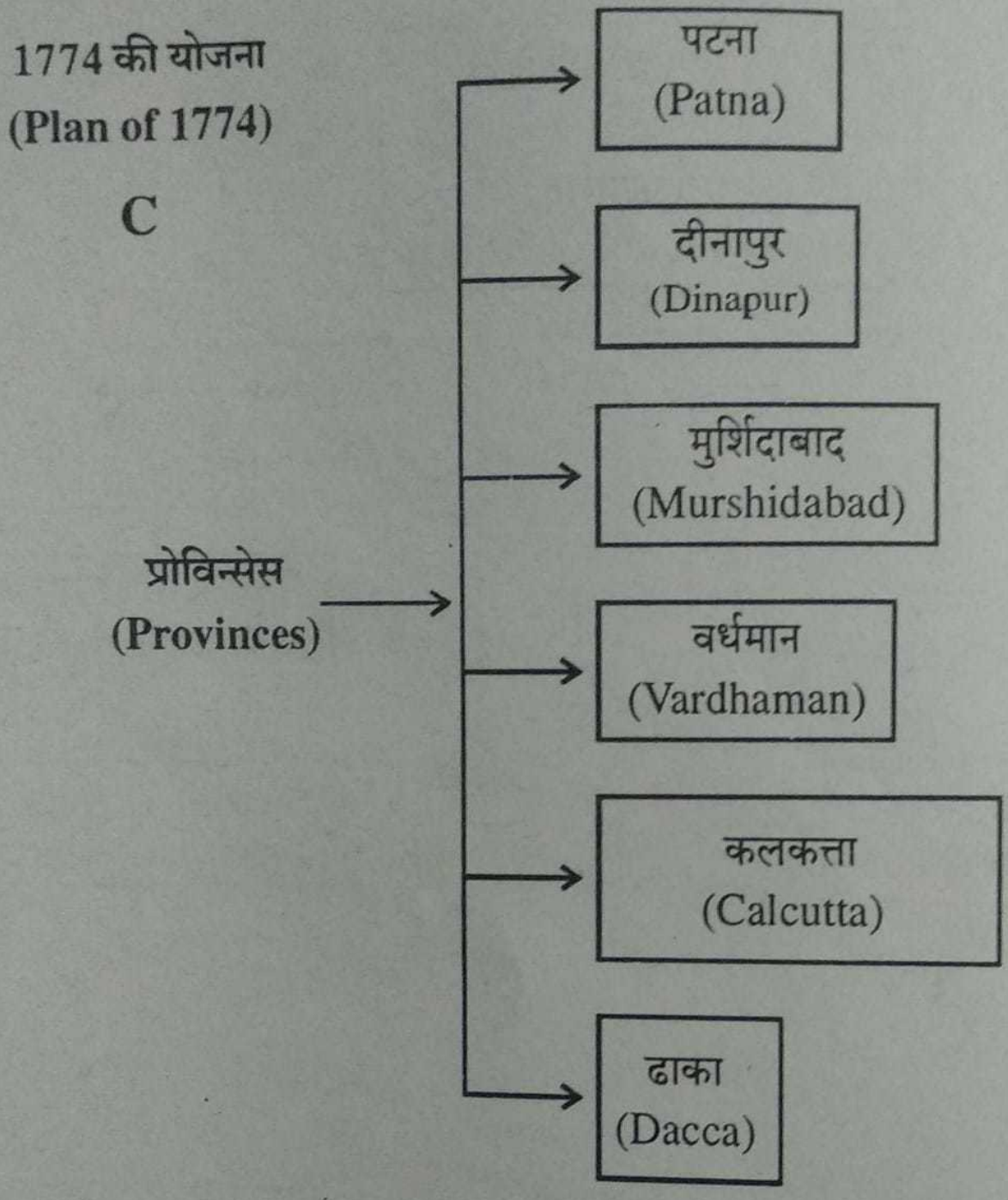
1774 की योजना
(Plan of 1774)
C
प्रोविन्सेस
(Provinces)
पटना
(Patna)
दीनापुर
(Dinapur)
मुर्शिदाबाद
(Murshidabad)
वर्धमान
(Vardhaman)
कलकत्ता
(Calcutta)
ढाका
(Dacca)

न हैस्टिंग्ज की द्वितीय योजना 1774

सन् 1774 की योजना का मुख्य उद्देश्य सन् 1772 की योजना में व्याप्त दोषों को दूर करना था।

1772 की योजना का केन्द्र बिन्दु कलेक्टर था। वह एक निरंकुश शासक हो चुका था। उसके आतंक जिले की जनता को बचाना आवश्यक हो गया था, साथ-ही वह अपने व्यक्तिगत व्यापार की तरफ ज्यादा ान देता था। जिससे जनता में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। कम्पनी की संचालन समिति ने वारेन हैस्टिंग्ज को र्देश दिया कि कलेक्टर को वापस बुला लिया जाए और उसके स्थान पर दूसरा प्रबन्ध किया जाए। 1774 की जना की आधारशिला 1772 की योजना ही थी। 1774 की योजना सिर्फ 1772 में व्याप्त दोषों को दूर करने सीमित लक्ष्य लेकर बनी थी।

1774 की योजना को निम्नलिखित शीर्षकों में समझा जा सकता है।

1. **कलेक्टर की वापसी**—1774 की योजना के अन्तर्गत कलेक्टर को जिलों से वापस बुला लिया या तथा उसके स्थान पर भारतीय को नियुक्त किया गया जिसे अमीन या दीवान कहा गया। अमीन या दीवान की नियुक्ति सपरिषद महाराज्यपाल की संस्तुति पर की जाती थी। जिले का नियन्त्रण अमीन पर छोड़ दिया गया से वह सारे उत्तरदायित्व सौंप दिये गये जिनका निर्वाह कलेक्टर के द्वारा किया जाता था।

2. **प्रान्तीय परिषद की स्थापना**—सारे बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी क्षेत्र को छः भागों में विभक्त किया गया। जिन्हें प्रान्त (Province) कहा गया। कलकत्ता, बर्दवान, मुर्शिदाबाद, दीनापुर, ढाका और पटना में उनके मुख्यालय स्थापित किये गये। प्रत्येक क्षेत्र में एक परिषद स्थापित की गई जिसे प्रान्तीय परिषद का नाम दिया गया। कई जिलों को मिलाकर एक प्रान्त बना।